IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अनुरक्षण अनुभाग)

104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो

SQMS

संख्या /अनु0अनु0/ दिनांक

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदायें टू- बिड पद्धति से दिनांक 24.02.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे तक वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी तकनीकी बिड्स दिनांक 24.02.2025 अपरान्ह 4.00 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबंधित खण्ड का नाम
1	सी० एस० आई० टावर विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ में स्थित बैडमिन्टन हॉल के अनुरक्षण / सुदृणीकरण का कार्य	210.00	10.50	6000.00 + 18% जी०एस०टी०	6 माह	अनुरक्षण अनुभाग, मुख्यालय

ई-निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि।	दिनांक 31.01.2025
निविदा / प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 09.02.2025 को पूर्वान्ह 12.00 बजे से दिनांक 23.02.2025 अपरान्ह 03.00 बजे तक
निविदा / प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 09.02.2025 से दिनांक 24.02.2025 अपरान्ह 03.00 बजे तक
धरोहर धनराशि को आर० टी० जी० एस० से जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 23.02.2025 समय 4.00 बजे अपरान्ह तक
तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 24.02.2025 अपरान्ह 04.00 बजे
वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी बिड के परीक्षणोंपरान्त वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर सूचित की जायेगी।

ई- निविदाः-

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS/ NEFT के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वाँछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:-

Name of A/C Holder - Executive Engineer, Maintenance, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Lucknow

A/C No. - 192201000012900

IFSC Code No. - IOBA0001922

Name Of Bank - Indian Overseas Bank, Raj Bhavan Branch, Lucknow

1- निविदादाता द्वारा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करने की स्थिति में RTGS/NEFT की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड न करने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।

2. निविदा प्रपत्र परिषद की बेवसाइट http:/upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों / फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

3. निविदाओं की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा एवं मदों में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नही होगा।

AE

4. स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू० 10/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

5. निविदादाता द्वारा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से Executive Engineer, Maintenance, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Lucknow के Indian Overseas Bank, Raj Bhavan Branch, Lucknow के खाता सं०.192201000012900 एवं IFSC Code – IOBA0001922 में जमा कराई जायेगी, जो कि निर्धारित तिथि व समय से पूर्व ही जमा करानी होगी। RTGS /NEFT की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6. परिषद में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जनरल सिक्योरिटी एवं निविदा में वांछित धरोहर धनराशि के विरूद्ध अवशेष अन्तर धनराशि/धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से Executive Engineer, Maintenance, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Lucknow के Indian Overseas Bank, Raj Bhavan Branch, Lucknow के खाता सं०.192201000012900 एवं IFSC Code – IOBA0001922 में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व ही जमा करानी होगी।

7. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

8. निविदा स्वीकृति के उपरान्त 7 दिनों के अन्दर फर्म/ठेकेदार को अनुबंध गठित कराना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9. निविदादाता की निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित निविदादाता सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्य एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उसके पक्ष में गठित अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगा।

10. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिफ्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

11. निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

12. निविदादाता फर्म को जी०एस०टी० आयकर में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

13. कार्य आवंटन के पश्चात फर्म द्वारा एक सप्ताह में श्रम विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुभाग में प्रस्तुत करने हेतु रू० 100.00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

14. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी तथा आयकर, जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 एवं लेबर सेस व अन्य कर की कटौती नियमानुसार प्रत्येक देयक से की जायेगी।

15. ठेकेदार / फर्म को प्रत्येक बीजक के साथ उपयोग की गई सामग्री की समान मात्रा में रायल्टी प्रपत्र (E.MM-11) प्रस्तुत करना होगा जांच के दौरान अवैध / फोटोप्रति पाये जाने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी।

16. सामग्री की टेस्टिंग (Testing) ठेकेदार के व्यय पर की जायेगी।

17. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

18. निर्माण करते समय जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

19. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिल्टी अवधि तीन वर्ष होगी। इस हेतु 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।

20. समस्त कार्य उ० प्र० लोक निर्माण विभाग / उ० प्र० जल निगम / परिषद की नवीनतम विशिष्ठियो के अनुसार कराये जायेंगे।

21. जी०पी०डब्लू०-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

22. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की साप्ताहिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक सप्ताह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले

सप्ताह के अन्त तक निर्धारित कम्युलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।

23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।

24. शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08 टी० सी०-2लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम मे मुख्य अभियन्ता (म०) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों (Below) निविदा के मामले में वाँछित परफारमेन्स गारन्टी, वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दोनों के अन्दर एल-1 निविदादाता को जमा किये जाने के पश्चात ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

25. निविदा में भाग लेने वाली फर्मो को निविदा से सम्बन्धित वांछित सभी प्रपत्रों को निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

26. निविदादाता / फर्म को बैडमिन्टन कोर्ट के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवश्यक मशीनरी सम्बन्धी स्वामित्व प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

27. शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08 टी० सी०-2लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी०ओ०क्यू० की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी / परफारमेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगीः-

(क) 10 % Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

(ख) 10 % से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

28. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य न होगा।

29. एन० जी० टी० सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

30. उ०प्र०शासन / जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड -19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

31. निविदा की दरों की वैधता तीन माह की होगी, जिसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार रू0 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प चिपका कर एवं हस्ताक्षर कर वैधता हेतु सहमति देनी होगी।

32. प्रस्तावित कार्य हेतु ठेकेदार/एजेन्सी को सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/परिषद संस्थान में 31 जनवरी 2025 तक पिछले 07 **वर्षो** में निम्नानुसार अनुभव होना आवश्यक है।जिसमेः-

(1) तीन कार्य जिसमें प्रत्येक कार्य की कुल लागत जो कि निविदा लागत का 40 प्रतिशत से कम न हो।

(2) दो कार्य जिसमें प्रत्येक कार्य की कुल लागत जो कि निविदा लागत का 50 प्रतिशत से कम न हो।

(3) एक कार्य जिसमें प्रत्येक कार्य की कुल लागत जो कि निविदा लागत का 80 प्रतिशत से कम न हो।

33. अन्य नियम व शर्तें तकनीकी बिड के अनुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(पवन कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण)

पृ० सं० 66 /उक्त/ दिनांक 30|1|25

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार - प्रसार हेतु।

1. आवास आयुक्त (म०) के निजी सचिव को आवास आयुक्त (म०) के अवलोकनार्थ।
2. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म०) को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०) लखनऊ वृत, अवध विहार वृत एवं वृन्दावन वृत, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० लखनऊ- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 लखनऊ।
5. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता, अनुरक्षण अनुभाग, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
7. सहायक लेखाधिकारी, अनुरक्षण अनुभाग, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण)